हल्द्वानी, 26 जुलाई, 2024 दैनिक जागरण 9

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक कालाढूंगी, नैनीताल

पत्रांक 245 / छात्रावास / मैस संचालन / 2024-25

दिनांक 25 जुलाई 2024

अल्पकालीन कोटेशन सूचना

राजकीय पालीटेक्निक कालाढूंगी, नैनीताल के (72 छात्र एवं 36 छात्रा क्षमता वाले) छात्रावास के मैस संचालन हेतु पंजीकृत ठेकेदार/फर्म/संस्थायें जिन्हें मैस चलाने का अनुभव हो, सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। कोटेशन प्रपत्र संस्था कार्यालय से कार्यालय दिवस में दिनांक 29/07/2024 से दिनांक 12/08/2024 तक निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं तथा संस्था की वेबसाईट www.gpkaladhungi.com पर भी उपलब्ध है। कोटेशन के साथ धरोहर राशि रू0 20000/- (रू0 बीस हजार मात्र) प्रतिभूति धनराशि जो कम से कम एक वर्ष के लिये वैध किसी भी बैंक पर आहरित सावधि जमा रसीद के रूप में हो तथा प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक कालाढूंगी के नाम से देय हो, जमा करना होगा। सीलबंद कोटेशन कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक कालाढूंगी, नैनीताल में दिनांक 13/08/2024 की सायं 05:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। उक्त तिथि तक प्राप्त कोटेशनों को दिनांक 14/08/2024 को अपराह्न 03:00. बजे संस्थागत समिति के समक्ष खोले जायेंगे। कोटेशन खोलते समय कोटेशनदाता उपस्थित रह सकते है।

(डॉ0 आर0के0एस0 चन्देल)
प्रधानाचार्य
फो0नं0 05942242005

दिनांक-26-07-2024 के अंक में.

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक कालाढूंगी,(नैनीताल)।

राजकीय पालीटेक्निक कालाढूंगी, नैनीताल के (72 छात्र एवं 36 छात्रा क्षमता वाले) छात्रावास मैस संचालन हेतु पंजीकृत ठेकेदार/फर्म/संस्थाओं से जो वर्तमान में मैस/कैंटीन एवं कैटरिंग सेवा प्रदान कर रहे हों, जिनके पास तीन वर्ष का अनुभव हो, से सील बंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।कोटेशन निःशुल्क है तथा कोटेशन किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 29 जुंलाई 2024 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 12 अगस्त 2024 सायं 04:00 बजें तक संस्था कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2024 सायं 05:00 बजे तक होगी तथा कोटेशन दिनांक 14 अगस्त 2024 को अपराह्न 03:00 बजे प्रधानाचार्य कार्यालय में समिति के समक्ष खोले जायेंगे जिसमे कोटेशनदाता भी उपस्थित रहेंगे।

कोटेशन के विषय में मुख्य जानकारी

1. कोंटेशन संस्था कार्यालय से दिनांक 29 जुंलाई 2024 से दिनांक 12 अगस्त 2024.तक प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं
2. पूर्ण रूप से भरे हुए एवं समस्त संलग्नकों सहित कोटेशन स्वयं दिनांक 13 अगस्त 2024 सायं 05:00 बजे तक संस्थान के कार्यालय मे जमा किये जा सकते है। कोटेशन पंजीकृत डाक अथवा कोरियर के माध्यम से भी प्रेषित किये जा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
3. कोटेशन से संबधित आवश्यक शर्तें, महत्वपूर्ण तिथियां कार्य का सम्पूर्ण विवरण इत्यादि कोटेशन प्रपत्र में दिये गये है। तथा यह कोटेशन का भाग है। यह अपेक्षित होगा कि कोटेशन दाता कोटेशन भरने से पूर्व सभी शर्तों तथा तिथियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें। विलम्ब से प्राप्त, अपूर्ण एवं शर्तो के अनुरूप बिना अभिलेख के जमा किये गये कोटेशन स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे तथा इस संबंध में कोटेशनदाता का दावा स्वीकार नहीं होगा।
4. कोटेशन के साथ दिये गये समस्त परिशिष्ट तथा अनुलग्नक जो कोटेशन के भाग हैं, आवश्यक प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त कोटेशन दाता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उनके नाम के साथ हस्ताक्षरित होना चाहिये। बिना हसताक्षरयुक्त अभिलेख मान्य नहीं होंगे।
5. कोटेशन के लिफाफे पर **राजकीय पालीटेक्निक कालाढूंगी, नैनीताल छात्रावास में मैस संचालन हेतु कोटेशन** स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये।
6. कोटेशन के साथ निम्न अभिलेख संलग्न होने चाहियेः–

   A-कोटेशन के साथ रू0 20000/– (रू0 बीस हजार मात्र) प्रतिभूति धनराशि जो कम से कम एक वर्ष के लिये वैध किसी भी बैंक पर आहरित सावधि जमा रसीद के रूप में हो जमा करना होगा। सावधि जमा रसीद **प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक कालाढूंगी के नाम से देय होना चाहिये।**

   B-कैटरिंग/कैन्टीन सेवाओं के लिये खाद्य सर्टिफिकेट जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हो तथा उपयुक्त अधिकारी के द्वारा जारी किया गया हो।

   C-जी0एस0टी0 पंजीकरण,अथवा आयकर विभाग का पैन नम्बर होना चाहिये।

   D-कोटेशनकर्ता को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह देश के किसी भी न्यायालय या कानूनी रूप से दोषी नहीं ठहराया गया है या कानूनी विवाद नहीं चल रहा है।

   E-सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा कभी भी काली सूची में न होने का स्वघोषित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

   F-ठेकेदार/संस्थाओं के पास सरकारी विभाग/शिक्षण संसथाओं/निजी संस्थानों में कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिये।
7. कोटेशन खोलने की तिथि पर सार्वजनिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश की स्थिति में कोटेशन अगले कार्यदिवस में खोले जायेंगे।
8. कोटेशन के संबंध में संस्थागत समिति तथा प्रधानाचार्य को शर्तों में परिवर्तन करने अथवा एक या समस्त कोटेशनों को निरस्त करने का अधिकार होगा जो समस्त कोटेशनदाताओं/व्यक्तियों को स्वीकार्य होगा।

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक कालाढूंगी, नैनीताल

मैस संचालन के लिये विशिष्ट/विशेष नियम व शर्तें

निम्नलिखित नियम व शर्तें जो कोटेशनदाता के लिये बाध्यकारी होंगीः–

1– यह छात्रवास अनुबंध प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिये है। यदि छात्रावास के छात्र और छात्रावास अधीक्षक मैस संचालन करनें वाले संचालक के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं तो अनुबंध की अवधि को बिना कोटेशन आमंत्रित किये 02 वर्ष अर्थात (अधिकतम 03 वर्ष तक बढाया जा सकता है)।

2– छात्रावास बिजली,फर्नीचर जैसी आवश्यक सुविधायें प्रदान करेगा। सामान्य टूट–फूट के अलावा किसी भी प्रकार के नुकसान/क्षति के लिये मैस संचालक जिममेदार होगा। किसी भी नुकसान/क्षति के मामले में मैस संचालक को खोई हुई वस्तु को बदलना होगा/वार्डन के अनुमोदन और निर्देश के अधीन आवश्यक मरम्मत करानी होंगी। छात्रावास में यदि पेयजल की समस्या उत्पन्न होती है तो मैस संचालक द्वारा पेयजल की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर करनी होगी इसमें संस्थान का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3– छात्रावास मैस के आस–पास सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति बनाये रखने की जिम्मेदारी मैस संचालक की होगी। सफाई के संबंध मे वार्डन के सुझावों /कार्यो का पालन करना होगा और इस पर होने वाला खर्चा मैस संचालक को वहन करना होगा।

4– छात्रावास मैस संचालन और प्रबंधन के लिये कोटेशन दाता को पर्याप्त कार्मिकों को रखना होगा। प्रत्येक छात्रावास मैस कार्यकर्ता की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।

5– कोटेशनदाता/एजेंसी द्वारा तैनात प्रबन्धक/कर्मचारियों को किसी भी छात्र/कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना होगा। छात्रावास के छात्रों या संस्थान के किसी भी कार्मिक के साथ मैस के किसी कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार करने पर मैस प्रबंधक संस्थान को सूचित करेगा तथा वार्डन के सुझाव के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

6– संस्थान / छात्रावास परिसर में धूम्रपान और नशा (शराब, गुटखा, तंबाकू आदि) करना सख्त वर्जित होगा।

7– अनुबंध अवधि के दौरान अनुबंध सेवा रामाप्ति की स्थिति उत्पन्न होने पर अनुबंध सेवा समाप्ति के लिये दोनों ओर से एक माह का नोटिस आवश्यक है।

8– मैस संचालक को मैस मे एक शिकायत पंजिका रखना अनिवार्य होगा जिसका छात्रावास अधीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण किया जायेगा।

9– यदि प्रबंधक का छात्रावास मैस प्रबंधन उचित नहीं पाया जाता है या भोजन की गुणवत्ता मानक से नीचे या अस्वास्थ्यकर, अस्वच्छ पाई जाती है तो संस्थान को पूर्णरूप से अधिकार होगा कि वह एक सप्ताह के अल्प नोटिस के साथ अनुबंध समाप्त कर सकता है। छात्रावास अधीक्षक/ समिति की राय अंतिम एवं मान्य होगी।

10– भोजन कच्चा माल, सामग्री आदि उच्च गुणवत्ता की स्वच्छ, ताजा, पौष्टिक होनी चाहिये। किसी भी प्रकार के पके हुये भोजन को करने बाद संग्रहित/संरक्षित नहीं किया जायेगा। ऐसें मामलों में वार्डन के सुझावों/ निर्देशों का पालन नहीं करना अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लघंन माना जायेगा तथा इसके लिये दंडित किया जायेगा।

11– मैस मे कार्य करने वाले कर्मचारी एवं रसोईया स्वच्छ एवं चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने चाहिये। उन्हें नियमित रूप से चिकित्सा जांच करानी होगी जिसका व्यय छात्रावास मैस प्रबंधक को स्वयं वहन करना होगा। यदि कोई मैस कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसे अपने कर्तव्यों को जारी रखने की अनुमति नहीं होगी और छात्रावास मैस प्रबंधक को तुरन्त उस कार्मिक को बदलना होगा।

12– कोटेशन दाता को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि छात्रावास मैस के कर्मचारी उचित एवं स्वच्छ यूनिफार्म में हों।

13– इस कोटेशन के साथ दैनिक मैन्यू का नमूना रालग्न है मौसमी सब्जियों की उपलब्धता और उनकी बाजार में आपूर्ति के अनुरूप विशेष दिवसों पर छात्रावास अधीक्षक के साथ मैन्यू मे बदलाव किया जा सकता है।

14– भोजन निर्धारित समय पर देना होगा। विषम परिस्थिति आने पर समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

15– किसी छात्र के अस्वस्थ होने पर मैस प्रबंधक द्वारा अस्वस्थ छात्र को हल्का भोजन प्रदान किया जायेगा और इसके लिये कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।

16– मैस प्रबंधक को छात्रों से खाना खाने की मासिक धनराशि अग्रिम लेनी होगी। छात्रों/अतिथियों/स्टाफ के खाने के

बिल के लेन देन की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।

17– छात्रावास मैस के भुगतान की गणना छात्रावास मैस संचालन के वास्तविक दिनों में होगी।

18– मैस के बर्तनों को प्रत्येक भोजन के उपरांत डिटर्जेंट पाउडर/साबुन व गर्मपानी से साफ करना होगा।

19– मैस संचालक को अपने सभी कर्मचारियों का पूर्ण विवरण बना कर पंजिका रखनी होगी तथा उनका परिचय पत्र मय तस्वीर के संस्थान/छात्रावास अधीक्षक को उपलब्ध कराना होगा।

20– मैस के कर्मचारियों में से किसी को भी यदि चोट/मृत्यु की दशा में या किसी भी दुर्घटना की अवस्था में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कोटेशनदाता का होगा तथा संस्थान का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

21– खाद्य विषाक्तता की घटनाओं के मामले में कोटेशनदाता पूर्णरूप से उत्तरदायी/जिम्मेदार होगा और छात्रवास के छात्रों के चिकित्सा उपचार के समस्त खर्चे को वहन करेगा।

22– कोटेशनदाता मैस में किसी भी ऐसे कर्मचारी को नियुक्त नहीं करेगा जिसका चरित्र संदिग्ध हो अथवा किसी भी अपराध /पुलिस मामले मे संलग्न हो।

23– छात्रावास मैस मे कर्मचारियों को नियोजित करने के संबंध में कोटेशनदाता को सभी श्रम कानूनों/शासकीय अधिनियमों का पालन करना होगा। किसी भी विवाद/श्रम कानूनों के उल्लघंन के लिये कोटेशनदाता पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

24– कोटेशनदाता को सौंपे गये कार्य के लिये वह किसी भी उपठेकेदार को नियुक्त नहीं करेगा। कोटेशन दाता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति/फर्म को कार्य हस्तांतरित या सबलेट नहीं किया जायेगा।

25– निम्नलिखित नियमों के उल्लघंन के मामले में मैस प्रबंणक पर जुर्माना लगाया जायेगा:–

(क) काउंटर पर शिकायत पंजिका का न पाया जाना/शिकायत को हतोत्साहित करने पर रू0 1000–00 का जुर्माना लगाया जायेगा।

(ख) किसी भी भोजन में कीडे पाये जाने की दो या दो से अधिक शिकायत पर रू0 2000–00 का जुर्माना लगाया जायेगा।

(ग) छात्रावास मैस में एक दिन में 10 अशुद्ध/गन्दे बर्तन पाये जाने पर रू0 2000–00 का जुर्माना लगाया जायेगा।

(घ) समिति की अनुमति के बिना मैन्यू में परिवर्तन करने पर 2000–00 का जुर्माना लगाया जायेगा।

26– सुरक्षा विनियम अनुबंध के हिस्से के रूप में सौंपे गये कार्य को करने के लिये ठेकेदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निगोजित सभी श्रमिको के संबंध में ठेकेदार सुरक्षा कोड के अनुसार अपने स्वयं के खर्चे पर श्रमिकों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिये आवश्यक व्यवस्था करेगा। सी0पी0डब्ल्यू0डी0 भरतीय मानक संस्थान,विद्युत अधिनियम, विभिन्न सुरक्षा नियम, उसके तहत बनाये गये नियम और आदेश और ऐसे अधिनियम जो लागू हों, ठेकेदार को पूर्ण करना होगा।

27– सांविधिक प्रावधानों की पूर्ति– ठेकेदार प्रारांगिक अधिनियम के सभी वैधानिक प्राविधानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये जिम्मेदार होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी का भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठेका श्रमिक (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम और अन्य सभी श्रम और औद्योगिक अधिनियम अपने जोखिम और लागत पर उसके द्वारा नियोजित सभी कर्मचारियों के संबंध मे किसी भी अधिनियम आदि के प्राविधानों के किसी भी उल्लघंन /गैर अनुपालन के लिये संस्थान के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के लिये संस्थान को क्षतिपूर्ति दी जायेगी। इसलिये किसी भी अधिनियम के इन प्रावधानों में से किसी एक का भी अनुपालन न करने या उल्लघंन के कारण अनुबंध की तत्काल समाप्ति हो जायेगी। ठेकेदार अधिनियमों के तहत बनाये रखने के लिये आवश्यक सभी अभिलेखों को बनाये रखोगा। वार्डन और उसके अधिकृत प्रतिनिधि किसी भी समय ऐसे सभी अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये हकदार होंगे।

28– किसी भी परिस्थिति में प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक कालाढूंगी, नैनीताल के साथ किसी भी प्रकार के रोजगार के लिये ठेकेदार के कर्मचारी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

29– छात्रावास के अन्तःवासियों को दिये जाने वाला नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रिकलीन भोजन की मात्रा सीमित नही होगी।

मैस सेवा हेतु साप्ताहिक मैन्यू

समय के अनुसार दिये जाने वाले आहार के सांकेतिक/सामान्य मैन्यू का वर्णन किया गया है। अनुबंध काल में आहार की मात्रा जो कितनी भी हो सकती है का वर्णन नहीं किया गया है।

दिन	सुबह का नाश्ता	दिन का भोजन	रात का भोजन
सोमवार	आलू पराठा, अचार व चाय	अरहर दाल,मौसमी सब्जी, रोटी,चावल,सलाद	मसूर दाल,आलू टमाटर सब्जी, रोटी, चावल
मंगलवार	पूडी सब्जी, अचार व चाय	मिक्स दाल, सब्जी, रोटी,चावल,सलाद	चना लौकी,मूंगदाल, रोटी, चावल
बुधवार	मिक्स पराठा, दही, अचार व चाय	राजमा,बैगन भर्ता, रोटी, चावल, सलाद	मसूर दाल, सब्जी, रोटी, चावल
वृहस्पतिवार	छोले भटूरे, अचार व चाय	अरहर दाल,आलू लौकी कोफ्ता, रोटी, चावल,सलाद	आलू गोभी सब्जी,चनादाल,रोटी चावल
शुक्रवार	बन टिक्की या बन समोसा, वेज पकोडा व चाय	आलू सोया बडी, उडद दाल धुली, रोटी, चावल,सलाद	दाल, आलू बीन की सब्जी,रोटी, चावल
शनिवार	प्लेन पराठा, सब्जी, अचार व चाय	कढी पकोडा, रोटी,चावल,सलाद	सब्जी, पूडी,रोटी,चावल
रविवार	ब्रैड पकोडा, सॉस या चटनी व चाय	राजमा,मिक्स सब्जी,पुलाव,खीर, पूडी,सलाद	मूंगदाल, रोटी, सब्जी,चावल

उक्त के अतिरिक्त सायंकालीन 05:00 बजे से 06:00 बजे के मध्य चाय देना आवश्यक है।

उपरोक्त मैन्यू अस्थायी है और अनुबंध कर्ता और छात्रावास मैस कमेटी के आपसी सहयोग से परिवर्तित किया जा सकता है। यदि आपकी फर्म सेवा प्रदान करने की स्थिति में है तो आप सर्विस प्रदान करने के लिये अपनी दरें प्रदान कर सकते हैं।

प्रति छात्र प्रति दिन की दर घोषित करें ....

जी0एस0टी0 यदि लागू हो तो जोडें ....

योग अंको में– ....

योग शब्दों में– ....

मैं..पुत्र श्री .... मैसर्स..शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मुझे उपरोक्त नियम व शर्तें मान्य हैं।

स्थान.........

दिनांक...........................

हस्ताक्षर

नाम एवं पता.......................

मो0नं0...................................

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक
कालाढूँगी (नैनीताल)।

महोदय,

मैने छात्रवास मैस संचालन हेतु नियम और शर्तो को पढ व समझ लिया है तथा छात्रवास मैस संचालन के लिये मेरे द्वारा निम्नानुसार दरें घोषित की जाती हैं:–

प्रति छात्र प्रति दिन की दर घोषित करें	....
जी0एस0टी0 यदि लागू हो तो जोडें	....
योग अंको में–	....
योग शब्दों में–	....

मैं...पुत्र श्री ....
मैसर्स..शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मुझे संलग्न नियम व शर्तें मान्य हैं।

हस्ताक्षर कोटेशनदाता

नाम एवं पता.........................

मो0नं0...
स्थान.........
दिनांक............................
संलग्नक:–